स्पीड पोस्ट

संख्या–06 / सा0सु0बी0एल0–318 / 2010 –45
झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
(सामाजिक सुरक्षा)

प्रेषक,

विष्णु कुमार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
श्रम मंत्रालय जैसलमेर हाऊस,
मानसिंह रोड, नई दिल्ली–110011

राँची, दिनांक– 1.2.2013.

विषय :– **झारखण्ड राज्य के विमुक्त बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु वित्तीय वर्ष–2005–06 से 2011–12 तक आवंटित की गयी राशि के समतुल्य केन्द्रीय हिस्से की राशि विमुक्त करने के संबंध में।**

प्रसंग :– **विभागीय पत्रांक–79 दिनांक–05.03.2010, 200 दिनांक–29.04.2010, 231 दिनांक–25.04.2012, 297 दिनांक–05.06.2012 एवं 449 दिनांक–05.09.2012.**

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसांगिक पत्र की ओर आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए कहना है कि बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इस योजनान्तर्गत बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976 के प्रावधानानुसार विमुक्त बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए अधिकतम 20,000 / –(बीस हजार) रूपये मात्र का व्यय अनुमान्य है जिसका वहन राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में किया जाता है। इस प्रकार विमुक्त बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए 10,000 / –(दस हजार) रूपये का व्यय राज्य सरकार के द्वारा तथा 10,000 / –(दस हजार) रूपये का व्यय केन्द्र सरकार के द्वारा किया जाता है।

केन्द्र सरकार द्वारा राशि विमुक्त किये जाने की प्रत्याशा में वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा प्राप्त केन्द्र के हिस्से के बजट उपबंध की राशि से विमुक्त बंधुआ मजदूर का पुनर्वास किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 से 2011–12 तक राज्यांश के हिस्से की जितनी राशि जिलों को विमुक्त की गयी है, उतनी राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त किये जाने की आवश्यकता हैं

अतः अनुरोध है कि इस पत्र के साथ संलग्न विवरणी के अनुरूप केन्द्र के हिस्से की 6.40 लाख रूपये की राशि यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(विष्णु कुमार)
प्रधान सचिव।

E/S.k Bonded Labour

(73)

झारखण्ड राज्य के विमुक्त बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 से 2011–12 तक आवंटित की गई केन्द्र के हिस्से की राशि की विवरणी :–

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	पुनर्वास जिला का नाम	बंधुआ मजदूरों की संख्या	कुल बंधुआ मजदूरों की संख्या	आवंटित राज्यांश की राशि	आवंटित केन्द्रांश की राशि	आवंटित केन्द्र के हिस्से की राशि के समतुल्य केन्द्रांश की राशि विमुक्त करने की आवश्यकता	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2005–06	देवघर	1	7	70000	70000	70000	कुल 640,000/–(छः लाख चालीस हजार) रूपये विमुक्त करने की आवश्यकता है।
		पलामू	6					
2	2006–07	चाईबासा	11	11	110000	110000	110000	
3	2007–08	चतरा	4	8	80000	80000	80000	
		पलामू	1					
		देवघर	3					
4	2009–10	चतरा	13	19	190000	190000	190000	
		गिरिडीह	1					
		हजारीबाग	1					
		गोड्डा	4					
5	2010–11	गोड्डा	16	16	160000	160000	160000	
6	2011–12	लातेहार	2	3	30000	30000	30000	
		चतरा	1					
	कुल योग		64	64	640000	640000	640000	

(दिनेश चन्द्र मिश्र)
निदेशक
सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड, राँची।